न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास, खैरथल-तिजारा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - दीपेन्द्र माथुर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-91/2026, सीआईएस नंबर-151/2026,

1. दर्शन पुत्र मनोज, उम्र 21 साल, निवासी ठाठका, थाना कोटकासिम, जिला खैरथल-तिजारा, राज.
2. विवेक सिंह पुत्र बालकिशन, उम्र 19 साल, निवासी उजीना, थाना नूंह सदर, जिला नूंह मेवात, हरियाणा
3. सुन्दर पुत्र शेरसिंह, उम्र 20 साल, निवासी उजीना, थाना नूंह सदर, जिला नूंह मेवात, हरियाणा

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, किशनगढबास।

प्रार्थना पत्र बाबत जमानत अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-154/2026, पुलिस थाना कोटकासिम,
अपराध अंतर्गत धारा 308(2) बीएनएस

उपस्थित-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री समय सिंह यादव, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री होशियार यादव, परिवादी की ओर से।
3. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह नरूका, राज्य की ओर से।

--आदेश--

दिनांक-02.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत हेतु यह आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र लंबित नहीं होने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया। केस डायरी पेश हुई। इस आदेश के माध्यम से उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

2. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष हैं, आरोपित अपराध से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें रंजिशवश झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। वे न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार हैं। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

3. इसके विरूद्ध विद्वान अपर लोक अभियोजक व परिवादी के अधिवक्ता ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभय-पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 308(2) बीएनएस के तहत अपराध कारित करने का अभियोग है, जिसके तहत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की स्विफ्ट गाडी नंबर एचआर 81 बी 1619 को जबरन रूकवाकर जबरन परिवादी की गाडी में घुसकर उसकी पेंट से पांच हजार रूपये लूटने व फोन का लॉक खुलवाकर उसमें फोन-पे को चैक कर उसे जान से मारने की धमकी देकर फोन-पे पर 13,500/-रूपये जबरन फोन-पे कराकर जबरन वसूली करना आदि दर्शाया गया है। मुताबिक केस डायरी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है।

5. पत्रावली का अवलोकन करने से ये प्रकट है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308(2) बीएनएस का आरोप बनना पाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से समस्त अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 20.05.2026 से अभिरक्षा में हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

6. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दर्शन वगैरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण यदि इस प्रकरण में निर्धारित की जाने वाली प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पच्चीस हजार रूपये की जमानत व पच्चीस हजार रूपये का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करावें तथा वे किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हों तो उन्हें इस प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-154/2026, पुलिस थाना कोटकासिम में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(दीपेन्द्र माथुर)

7. आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपेन्द्र माथुर)